"सहकार से समृद्धि"

सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख पहलें

(6 जुलाई 2021-14 जून 2023)

(क) प्राथमिक सहकारी समितियों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण

1. पैक्स को बहु-उद्देशीय बनाने के लिए आदर्श उपविधियां

सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय संघो एवं अन्य हितधारकों से परामर्श के पश्चात तैयार की गई एवं 05 जनवरी 2023 को परिचालित की गई। इससे PACS/ LAMPS की आय के स्रोत बढ़ेंगे और लगभग 25 से अधिक नए क्षेत्रों जैसे डेयरी, मात्स्यिकी, भण्डारण, इत्यादि में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अब तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इन्हें अपनाया जा चुका है एवं अन्य राज्यों में लागू करने का कार्य प्रगति पर है।

2. पैक्स के सशक्तिकरण हेतु उनका कम्प्यूटरीकरण

कुल 63,000 क्रियात्मक PACS/ LAMPS को एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क के माध्यम से NABARD के साथ लिंक किया जा रहा है। अभी तक 24 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 58,383 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हार्डवेयर खरीद, डीजीटाइजेशन एवं सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने हेतु कुल 437.17 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। NABARD द्वारा राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है। राज्यों द्वारा हार्डवेयर की खरीद एवं सिस्टम इंटीग्रेटर फाइनल होने के पश्चात कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ हो जाएगा। इस पहल से PACS की कार्य कुशलता एवं पारदर्शिता बढेगी।

3. प्रत्येक पंचायत / गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समिति (2 लाख नई समितियों) की स्थापना

15 फरवरी, 2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस योजना में अगले 5 वर्षों में अब तक कवर न किये गए पंचायत/ गाँवों में 2 लाख नए बहु-उद्देशीय PACS/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां गठित किये जाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्राथमिक सहकारी समितियों के स्तर पर केंद्रीकृत किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु अंतर-मंत्रालयी समिति, राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय सहकारी विकास समिति एवं जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति बनाई गई हैं। मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के साथ बैठके की जा रही हैं। नई समितियों की स्थापना के लिए सम्बंधित कार्य योजना नाबार्ड, NDDB व NFDB द्वारा बना ली गई है एवं इस योजना पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

4. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भण्डारण योजना

31 मई, 2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस योजना के अंतर्गत पैक्स स्तर पर भारत सरकार की विभिन्न योजनायों के अभिसरण से विभिन्न प्रकार की कृषि अवसंरचनाएं, जैसे कि गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य दुकान, इत्यादी का निर्माण किया जाएगा। इस योजना से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, अनाज की होने वाली बर्बादी में कमी आएगी, किसानों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित होगी एवं पैक्स स्तर पर ही कृषि सम्बन्धी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। इस योजना का क्रियान्वन राज्यों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट द्वारा शुरू किया जा रहा है जिसको कि अंतर-मंत्रालयी समिति, राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय

समिति, राज्य स्तरीय सहकारी विकास समिति एवं जिला स्तरीय सहकारी विकास समिति द्वारा समन्वित किया जाना है।

5. ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सेवा केन्द्र (सीएससी) के रूप में पैक्स

PACS द्वारा CSC की सेवाएं दिए जाने हेतु सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड के बीच दिनांक 02.02.2023 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ, जिसके बाद CSC द्वारा दी जाने वाली 300 से भी अधिक ई-सेवाएं अब पैक्स भी दे सकेंगी। अभी तक 15 हज़ार से अधिक पैक्स को CSC के रूप में ऑनबोर्ड किया जा चुका है एवं अन्य पैक्स को भी ऑनबोर्ड करने का कार्य प्रगति पर है। ऑनबोर्ड हुए पैक्स को CSC-SPV एवं नाबार्ड द्वारा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

6. पैक्स के द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन (FPOs) का गठन

एफपीओ योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहकारिता के क्षेत्र में 1100 अतिरिक्त एफपीओ के आवंटन का निर्णय लिया गया है। अब पैक्स FPO के रूप में कृषि सम्बंधित अन्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम होंगी। यह पहल सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने में भी सहायक होगी।

7. पैक्स की LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्रता

पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पैक्स को पात्र बनाने के लिए नियम में बदलाव किए जा रहे हैं। जिसके बाद पैक्स LPG का वितरण भी कर सकेंगी। इससे PACS को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढाने का स्रोत मिलेगा और ग्रामीण स्तर पर रोज़गार के नवीन अवसर उपलब्ध होंगे।

8. पैक्स द्वारा संचालित बल्क कंज्यूमर पेट्रोल पम्प को रिटेल आउटलेट में बदलने की अनुमति

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को रिटेल आउटलेट में बदलने के लिए सहमत है। साथ ही पेट्रोल डीलरशिप के लिए भी पैक्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इन प्रावधानों से पैक्स के मुनाफे में वृद्धि होगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।

9. ग्रामीण स्तर पर जेनरिक दवाइयों की पहुंच के लिए जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स

06 जून, 2023 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के साथ आयोजित बैठक में अगस्त, 2023 तक 1,000 एवं दिसम्बर, 2023 तक 2,000 चिन्हित पैक्स

पर जन औषधि केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया। इससे ग्रामीण/ ब्लॉक स्तर पर सस्ती जेनरिक दवाइयाँ भी आम लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी और पैक्स को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। इच्छुक पैक्स को चिन्हित कर राज्य सरकार द्वारा उन्हें ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाना है।

10. उर्वरक वितरण केंद्र के रूप में पैक्स

06 जून, 2023 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री के साथ आयोजित बैठक में, कार्यशील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करने हेतु पात्र बनाये जाने, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) व उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्य करने के निर्णय लिए गए है। साथ ही, ड्रोन का उपयोग संपत्ति सर्वेक्षण के लिए भी किया जा सकेगा। इन प्रयासों से किसानों को पैक्स स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा पैक्स के लिए व्यवसाय के नये अवसर सृजित होंगे।

11. पैक्स स्तर पर PM-KUSUM योजना का अभिसरण

PACS की संरचना व इनकी गहरी पहुँच, जिनसे 13 करोड़ से अधिक किसान बतौर सदस्य जुड़े हैं, का लाभ पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। इससे, PACS से जुड़े किसान कृषि डीजल पंपों को सौर कृषि जल पंपों से बदल सकते हैं एवं अपनी ज़मीनों की परिधि पर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल स्थापित कर अपनी उर्जा-सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे व इससे योजना की पहुंच को अंतिम मील तक पहुँचाया जा सकेगा। साथ ही, PACS व उनके सदस्य किसानों को आय के वैल्काल्पिक स्रोत प्राप्त होंगे। इस विषय पर सहकारिता मंत्रालय द्वारा concept note तैयार कर MNRE को भेजा गया और इस प्रस्ताव पर माननीय नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्री के साथ सचिव (सहकारिता) की बैठक हो चुकी है।

(ख) सहकारी समितियों के लिये आयकर कानून में राहत

12. सहकारी समितियों के लिए आयकर पर लगने वाले अधिभार में कटौती

1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के आयकर पर लगने वाले अधिभार को कंपनियों के समतुल्य 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। इससे सहकारी समितियों के ऊपर आयकर के भार में कमी होगी जिससे समिति के पास सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगी ।

13. सहकारी समितियों पर लगने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) में कटौती

सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटा कर 15% कर दिया गया है । इस प्रावधान से सहकारी समितियों एवं कंपनियों के मध्य इस क्षेत्र में समतुल्यता आई है । इससे सहकारी समितियां सशक्त होंगी एवं सहकारिता का विस्तार होगा।

14. पैक्स और PCARDBs द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा में बढ़ोत्तरी

पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमाराशियों व नकद ऋणों की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दी गई है। इस प्रावधान से उनकी गतिविधियों में सुगमता आएगी, उनका व्यवसाय बढ़ेगा तथा सदस्यों को लाभ मिलेगा ।

15. नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती

31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगेगा । इस प्रावधान से सहकारी समितियों एवं कंपनियों के मध्य इस क्षेत्र में समतुल्यता आई है । इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा मिलेगा।

16. नगद निकासी में स्रोत पर कर कटौती (TDS) की सीमा में वृद्धि

केन्द्रीय बजट 2023-24 के माध्यम से सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर को 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है । इस प्रावधान से सहकारी समितियों के स्रोत पर कटने वाले कर में बचत होगी जिसका उपयोग वे अपने सदस्यों के लाभ के लिए कार्य करने हेतु कर पाएंगे।

17. आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत नगद लेनदेन में राहत

सहकारी समितियों को पहले अपने वितरकों के साथ 'अनुबंध' को 'एक घटना' मानकर उस वितरक के साथ सम्पूर्ण वर्ष में होने वाले सभी लेन देनों में यदि नकद प्राप्ति दो लाख रुपये से अधिक थी तो उसे करयोग्य मानकर उसपर आयकर पेनल्टी लगा दी जाती थी। आयकर विभाग ने सर्कुलर जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि अब सहकारी समितियों का अपने वितरकों के साथ किया गया 'अनुबंध' 'एक घटना' नहीं मानी जायेगी। इस स्पष्टीकरण से सहकारी समितियों द्वारा अपने वितरक के साथ किए गए 2 लाख से अधिक के प्रत्येक नगद लेन -देन को अलग माना जाएगा जिससे उनपर

आयकर पेनल्टी नहीं लगेगी। इससे राज्य व जिला दुग्ध संघ बैंकों में अवकाश के दौरान अपने वितरकों से नकद में भुगतान लेकर सदस्य दुग्ध उत्पादकों को नगद में भुगतान कर पायेंगे।

(ग) सहकारी बैंकों को आ रही कठिनाइयों का निवारण

18. बिजनेस का विस्तार करने के लिए शहरी सहकारी बैंक अब नई शाखाएं खोल सकेंगे।

19. शहरी सहकारी बैंक भी वाणिज्यिक बैंको की तरह दिए गए ऋण का एकमुश्त निपटान कर सकेंगे।

20. शहरी सहकारी बैंको को दिए गए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त समय-सीमा दी गई है।

21. शहरी सहकारी बैंकों से नियमित संवाद के लिए RBI में एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

22. RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सेवाएं (door-step banking services) प्रदान करने के अनुमति दी है।

23. RBI द्वारा ग्रामीण व शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा दोगुनी से अधिक बढ़ाई गई है।

24. ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट - रिहाइशी आवास क्षेत्र को ऋण दे सकेंगे जिससे उनका व्यापार विविधिकरण हो सकेगा।

25. सहकारी बैंकों को CGTMSE के सदस्य ऋणदाता संस्थान [MLI] के रूप में शामिल किया गया है। जिससे अब सदस्य सहकारी बैंक दिए गए ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम (Risk) कवरेज का लाभ ले सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से 5 करोड़ रुपये तक की कोलेटरल मुक्त ऋण मिल सकेगा।

26. सहकारी बैंकों की आधुनिक 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) पर ऑनबोर्डिंग के लिए लाइसेंस शुल्क को लेन-देन की संख्या से जोड़ कर कम कर दिया गया है। इसके अलावा, सहकारी वित्तीय संस्थानों को पहले तीन महीने के प्री-प्रोडक्शन चरण तक निःशुल्क सुविधा भी मिल सकेगी। इससे अब घर बैठे बैंकिंग की सुविधा किसानों को उनके फिंगर प्रिंट पर मिल सकेगी।

(घ) सहकारी चीनी मिलों का पुनरुत्थान

27. सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत

सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य अथवा राज्य की सलाह मूल्य तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा। इस प्रावधान से सहकारी चीनी मिलें अपने सदस्यों को गन्ने का उच्चतर मूल्य दे सकेंगी और इस उच्चतर मूल्य के खर्च पर आयकर से कटौती हासिल कर पायेंगी ।

28. सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान

दशकों से लंबित आयकर सम्बन्धी मुद्दों का निवारण करते हुए केन्द्रीय बजट 2023-24 के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया है कि मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत प्राप्त हो सकेगी।

29. सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए NCDC के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना

सहकारिता मंत्रालय ने 'सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए NCDC को अनुदान सहायता' नाम की एक नई योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत भारत सरकार 2022-23 से 2023-24 तक के लिए NCDC को रुपए 1,000 करोड़ का अनुदान दे रही है। NCDC इस अनुदान का उपयोग सहकारी चीनी मिलों को रुपए 10,000 करोड़ तक का ऋण प्रदान करने के लिए करेगी । जिसका उपयोग सहकारी चीनी मिलें इथेनोल संयंत्र स्थापित करने के लिए या कोजेनेरेशन प्लांट लगाने के लिए या कार्यशील पूंजी के लिए अथवा तीनो कार्यो के लिए कर पाएंगी ।

30. सहकारी चीनी मिलों को इथेनोल खरीद में वरीयता एवं कोजेन बिजली संयंत्रो की स्थापना

इथेनोल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के तहत पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सहकारी चीनी मिलों को इथेनोल खरीद के लिए निजी कंपनियों के समतुल्य रखा जाएगा । गन्ने की खोई (Bagasse/बगास) से कोजन बिजली संयत्रों की स्थापना पर भी कार्य किया जा रहा है । इन कदमों से सहकारी चीनी मिलों के व्यवसाय का विस्तार होगा एवं लाभ में वृद्धि होगी ।

(ङ) राष्ट्रीय स्तर की तीन नयी बहु राज्यीय समितियाँ

31. निर्यात के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत नई राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गयी है जो सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा देगी। प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां जिसमे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ तथा बहु-राज्यीय सहकारी समितियां शामिल हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं। किसानो के उत्पादों का निर्यात सुलभ होगा एवं उनको उत्पादों के लिये मिलने वाले मूल्य में वृद्धि होगी।

32. प्रमाणित बीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना की गई है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगी । राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियां (प्राथमिक, जिला, राज्य स्तर) भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्य बन सकती हैं । इस समिति से किसानों को उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ेगी, फसलों की उत्पादकता एवं किसान को मिलने वाले लाभ में वृद्धि होगी।

33. जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु-राज्यीय सहकारी समिति

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गई है जो प्रमाणित व प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन का कार्य करेगी। प्राथमिक से राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ तथा बहु राज्य सहकारी समितियां शामिल हैं, तथा किसान उत्पादक संगठन (FPO) इसके सदस्य बन सकते हैं । इससे जैविक उत्पादों का उत्पादन बढेगा एवं किसानों को मिलने वाले लाभ में वृद्धि होगी।

(च) सहकारी क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण

34. विश्व के सबसे बड़े सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना

सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना भी तैयार की जा रही है । यह विश्वविद्यालय प्रशिक्षित श्रमबल की स्थायी, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ मौजूदा कार्मिकों की क्षमता निर्माण

भी करेगा । यह विश्वविद्यालय सहकारिता के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विशेषीकृत विश्वविद्यालय होगा।

35. सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की नई योजना

सहकारी समितियों को मजबूत आर्थिक संस्था बनाने, सहकारी आंदोलन को व्यापक और मजबूत करने, वैम्निकॉम, एनसीसीटी और जेसीटीसी की faculty का क्षमता निर्माण, सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना, इत्यादि के लिए इस योजना की आवश्यकता है। इस संबंध में, आरंभिक हितधारक परामर्श किए जा रहे हैं एवं अगले तीन माह में योजना बना लिए जाने का लक्ष्य है।

36. एनसीसीटी के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता को प्रोत्साहन

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT), सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त समिति है जो राज्यों/UTs के सहकारी विभागों के कर्मियों सहित देश भर के सहकारी समितियों के कार्मिकों, सदस्यों एवं बोर्ड के सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों का संचालन यह देश भर में फैले अपने 20 घटक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से करता है । जिसमे वैमनीकॉम (वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान) एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है । इसके अलावा, पांच क्षेत्रीय स्तर के और 14 राज्य स्तर के संस्थान हैं । NCCT ने वर्ष 2022-23 में संपूर्ण देश में सहकारी प्रतिभागियों, कामगारों तथा पेशेवरों के लिए निर्धारित लक्ष्य 1740 प्रशिक्षण कार्यक्रम की तुलना में 3287 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। इसके अलावा इस अवधि में परिषद ने निर्धारित 43,500 प्रतिभागियों से पांच गुना अधिक यानी लगभग 2,01,507 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। सहकारी समितियों के लिये स्थानीय भाषाओं में व्यावसायिक विकास योजना (मौजूदा DPRs पर आधारित) NCCT के माध्यम से बनाई जा रही है।

(छ) नई राष्ट्रीय सहकारी नीति एवं नया राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस

37. नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का निर्माण

'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने हेतु नई सहकारी नीति बनाने के लिए पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों तथा देश भर से लिए गए विशेषज्ञों व हितधारकों को शामिल करके 49 सदस्यों की एक बहुआयामी व राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है। विशेषज्ञ समिति की अब तक 9 बैठकें हो चुकी है, जिनके दौरान हितधारकों से विस्तृत विचार-विमर्श हुए हैं और नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने की आशा है।

38. नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

सहकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से, एक व्यापक, प्रमाणिक और अद्यतित राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस विकसित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।प्रथम चरण के अंतर्गत पैक्स, डेयरी एवं मत्सयिकी की लगभग 2.64 लाख समितियों की मैपिंग का कार्य दिनांक 28 फरवरी, 2023 को पूर्ण हो गया है। द्वितीय चरण में राष्ट्रीय सहकारी समितियों व संघों की Mapping का कार्य किया जा चुका है। तृतीय चरण के अंतर्गत अन्य सभी सेक्टरों की लगभग 5.8 लाख सहकारी समितियों को डेटाबेस में सम्मिलित किया जा रहा है जिसे जून, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ज) जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर 'क्रेता' के रूप में शामिल

39. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जून, 2022 को सहकारी समितियों को गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर बतौर 'क्रेता' पंजीकृत होने का अनुमोदन प्रदान किया है। सहकारी समितियां जेम के एकल प्लेटफॉर्म से देश भर में उपलब्ध लगभग 60 लाख प्रामाणिक विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से खरीद कर सकेंगी। अब तक 550 से अधिक सहकारी समितियों को जेम पोर्टल पर क्रेता के रूप में ऑनबोर्ड कर लिया गया है। इसके साथ साथ सहकारी समितियों को जेम पर विक्रेता के रूप में भी पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

(झ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का विस्तार

40. एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं-सहायता समूहों के लिए 'स्वहयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और महिला सहकारी संस्थाओं के लिए 'नंदिनी सहकार' आदि आरंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एनसीडीसी ने 41,025 करोड़ रुपए (अनंतिम) की वित्तीय सहायता का संवितरण किया जो कि 2021-22 के संवितरण 34,221 करोड़ रुपए से लगभग 20% अधिक है। सहकारिता क्षेत्र में आवश्यक धन राशि के प्रवाह को बढ़ाने के लिए अगले पाँच वर्षों में NCDC की कार्य दक्षता और भौगोलिक विस्तार को बढ़ाते हुए ऋण संवितरण को बढ़ा कर प्रति वर्ष लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की परिकल्पना है। सभी राज्य एवं राज्यों की सहकारी समितियां NCDC की ऋण योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं।

(ञ) केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय का सुदृढ़ीकरण

41. केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण

केंद्रीय पंजीयक का कार्यालय बहु राज्य सहकारी सोसाइटी (MSCS) अधिनियम, 2002 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। बहु राज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने हेतु केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर केंद्रीय पंजीयक कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक कार्य प्रवाह के माध्यम से समयबद्ध तरीके से आवेदन और सेवा अनुरोधों की प्रोसेसिंग करने में सहायता करेगा। इसमें ओटीपी आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, MSCS अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए सत्यापन जांच, VC के माध्यम से सुनवाई, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और अन्य संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने के प्रावधान होंगे। कम्प्यूटरीकरण की यह परियोजना नए MSCS के पंजीकरण में काफी मदद करेगी और उनके काम करने की प्रक्रिया में सुगमता प्रदान करेगी।

42. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 सत्तानवें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने तथा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाने, इत्यादि के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करने के लिए है। उक्त विधेयक को लोक सभा में दिनांक 7 दिसम्बर 2022 को पुर:स्थापित किया गया था जिसे दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को दोनों सदनों की एक संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित कर दिया गया। संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट के अनुसार विधेयक पर विचार करने और पारित करने की सूचना 22.03.2023 को लोकसभा में दी जा चुकी है। उक्त विधेयक को संसद के आगामी सत्र में विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाना है।

(ट) अन्य पहलें

43. सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कम्प्यूटरीकरण

दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु सहकारिता मंत्रालय कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के कंप्यूटरीकरण की परियोजना ला रहा है। इसमें विभिन्न घटक होंगे जैसे कि हार्डवेयर खरीद, व्यापक उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) समाधान, डिजिटलीकरण, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना, और सॉफ्टवेयर का रखरखाव आदि। इस योजना में आने वाले खर्च का 25 प्रतिशत ARDBs द्वारा एवं शेष 75 प्रतिशत केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा ।

कंप्यूटरीकरण से ARDBs को विभिन्न लाभ प्राप्त होंगे, जैसे कार्यकुशलता में वृद्धि, त्वरित ऋण संवितरण, लेनदेन दरों में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि और भुगतानों के असंतुलनों में कमी इत्यादि।

44. सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड

सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 के आदेश में सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लि., सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि., हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.) के जमाकर्ताओं के वैध बकाया संवितरण हेतु सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए बहुराज्यीय सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को अंतरित करने हेतु निर्देश दिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केंद्रीय पंजीयक द्वारा संवितरण के लिए पूर्व न्यायाधीश श्री आर. सुभाष रेड्डी एवं अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल न्यायमित्र के पर्यवेक्षण और निगरानी में एक पारदर्शी डिजिटल प्रणाली (पोर्टल) को विकसित करने के लिए स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज़ लि. (SDMSL) की सेवाएं ली गई हैं । केंद्रीय पंजीयक द्वारा रिफंड प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु उपर्युक्त प्रत्येक समिति के लिए चार विशेष कार्याधिकारियों (OSDs) को भी नियुक्त किया गया है । पोर्टल के माध्यम से प्रामाणिक जमाकर्ताओं को पारदर्शी रीति से उचित पहचान एवं उनकी जमाराशियों व दावों के साक्ष्य देने पर भुगतान संबंधित बैंक खाते में किया जाएगा। केंद्रीय पंजीयक कार्यालय शीघ्र ही इन समितियों के निवेशकों को रिफंड हेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की सूचना देने के लिए शीघ्र ही प्रेस विज्ञप्ति जारी करने वाला है।

45. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों मे सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की योजना

सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी समितियों के लिए व्यापार मे सुगमता बढ़ाने एवं पारदर्शी पेपर रहित विनियमन का एक डिजिटल इकोसिस्टम सभी राज्यों/संघ प्रदेशों मे बनाने के लिए राज्य पंजीयक कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की योजना की रूप रेखा तैयार की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विकसित सॉफ्टवेयर, संबंधित राज्य/संघ प्रदेश के सहकारी अधिनियम पर आधारित होगा। इस योजना को बनाने के लिए मंत्रालय सभी राज्यों/संघ प्रदेशों के पंजीयको से संवाद कर रहा है और जल्द ही इसको एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप मे प्रस्तावित किया जाएगा।

***